



- महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की याचिका पर जुलाई में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत
- बॉम्बे हाईकोर्ट भी 18 जुलाई से करेगा सुनवाई शुरू

जुलाई में 'सुप्रीम' सुनवाई

एजेंसी | नई दिल्ली/मुंबई

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को संवैधानिक वैधता को लेकर एक बार फिर कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर दायर नई याचिका पर जुलाई में सुनवाई के लिए सहमति दी है। उधर, बॉम्बे हाईकोर्ट भी 18 जुलाई से इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू करने जा रहा है।

हाईकोर्ट में विशेष पीठ गठित, लेकिन अंतरिम राहत नहीं

सुप्रीम कोर्ट पहले ही 14 मई को हाईकोर्ट को विशेष पीठ गठित कर शीघ्र सुनवाई का निर्देश दे चुका है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अब तक कोई अंतरिम राहत नहीं दी और सीधे मामले की मेरिट पर सुनवाई करने का निर्णय लिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 2024 अधिनियम के तहत हुई सभी नियुक्तियां और शैक्षणिक प्रवेश अंतरिम आदेश के अधीन रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 14 जुलाई वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया

यह मामला जस्टिस के. वी. विश्वनाथन और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष शीघ्र सुनवाई के लिए रखा गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट के 11 जून के आदेश का हवाला दिया, जिसमें SEBC आरक्षण अधिनियम, 2024 की

वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की दोबारा सुनवाई की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए मामले को 14 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का फैसला लिया है।

क्या है मराठा आरक्षण कानून 2024?

महाराष्ट्र सरकार ने 20 फरवरी 2024 को नया कानून पारित कर मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। यह कानून सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुनील शुक्ले की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग (MSBCC) की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया। रिपोर्ट में रअपवादस्वरूप परिस्थितियों का हवाला देते हुए 50% आरक्षण सीमा को पार करना उचित बताया गया।

सुप्रीम

कोर्ट पहले ही कर

चुका है 2018 के कानून को रद्द

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में 2018 के SEBC कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं माना जा सकता और 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

हिंदी पर सियासत जारी

हिंदी नजरअंदाज नहीं कर सकते, मगर अनिवार्य न करें : पवार

पुणे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-एसपी) प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। नई भाषा को शामिल करना है तो उसे कक्षा 5 के बाद ही लागू किया जाए। पवार ने कहा कि देश का एक बड़ा वर्ग हिंदी बोलता है, ऐसे में इसकी पूरी तरह अनदेखी करने का कोई कारण नहीं है।



▶ शिव सेना व एमएनएस ने त्रिभाषा नीति को लागू नहीं करने की दी धमकी

भाजपा भाषा के नाम पर बांटने का काम कर रही है

शिव सेना (युबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा भाषा के नाम पर बांटने का काम कर रही है। ठाकरे ने कहा सत्तारूढ़ केंद्र सरकार महाराष्ट्र में भाषा का आपातकाल लगा रही है। उन्होंने कहा कि वह हिंदी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन वह निश्चित तौर पर मराठी राज्य में हिंदी थोपे जाने के विरोध में हैं।

30 जून से मुंबई में महाराष्ट्र विधानमंडल का वर्षाकालीन सत्र

मुंबई। महाराष्ट्र विधानमंडल का वर्षाकालीन सत्र 30 जून से 18 जुलाई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय गुरुवार को विधानमंडल कामकाज समिति की बैठक में लिया गया। विधानमंडल के सचिव जीतेन्द्र जितेन्द्र भोले ने बताया कि वर्षाकालीन सत्र का कामकाज तय करने के लिए गुरुवार को विधानभवन में कामकाज सलाहकार की समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आदि कई नेतागण उपस्थित थे।

आतंकी साजिश का मामला

18 जगहों पर एनआईए के छापे

एजेंसी | नई दिल्ली

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकी साजिश मामले में गुरुवार को कुल 18 ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की। कारवाई खालिस्तानी समर्थक नेटवर्क और उनसे जुड़े गैंगस्टर्स की अवैध गतिविधियों के खिलाफ की गई। छापेमारी विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर की गई, जिसमें राज्य पुलिस बलों ने एनआईए का सहयोग किया।



तीन राज्यों में एक साथ कारवाई

एनआईए की टीमों पंजाब के 9, हरियाणा के 7, और उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों पर पहुंचीं। इन छापों का उद्देश्य उन नेटवर्क को तोड़ना है जो देश और विदेश में सक्रिय खालिस्तानी आतंकी संगठनों, खासकर बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के इशारे पर भारत में अशांति फैलाने की साजिश में लगे हैं। एनआईए ने बीते 22 जून को बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी लखवीर सिंह और उसके सहयोगी गैंगस्टर पवितर बटाला के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अब इस नेटवर्क से जुड़े एक और सहयोगी जतिंदर सिंह उर्फ जोती को लेकर जांच तेज की गई है।

मुंबई से गिरफ्तार, मध्य प्रदेश से हथियार तस्करी

गुरदासपुर (पंजाब) निवासी जतिंदर सिंह को 23 दिसंबर 2024 को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। एनआईए की जांच में पता चला कि जतिंदर मध्य प्रदेश से पंजाब में सक्रिय गैंगस्टर्स को अवैध हथियारों की सप्लाई करता था। वह यह हथियार बलजीत सिंह उर्फ राणा भाई नामक सलायार से खरीदता था, जिसे एनआईए पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यह हथियार पंजाब में खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पवितर बटाला के गुर्गों को सौंपे जाते थे।

A Great Place to Work — 8 years in a Row!

Thanks to Our Incredible Team, We've Built a Workplace of Trust, Support and Employee Partnership.

Burns & McDonnell India is once again recognized as a Great Place to Work, thanks to our incredible team. Our entrepreneurial spirit fuels strategic growth and service excellence in engineering, consulting and project delivery. Thank you for making this possible. Together, we grow, innovate and succeed!

Your Compensation:
Share Appreciation Plan

Your Time Away:
Remote working, Flexi-time

Your Career: L&D, Higher Education Assistance Policy, Long Service Program

Your Family: Maternity & Paternity Leave, Scholarship, Daycare facility

MUMBAI: Block A, 6th Floor, Godrej IT Park - P2, Godrej & Boyce Complex, Pirojsha Nagar, Vikhroli W. Mumbai - 400 079.

BENGALURU: 6th Floor, Bagmane Solarium City, Xenon North, Doddanekundi Village, K.R. Puram Hobli, Bengaluru East Taluk, Bengaluru - 560 037.

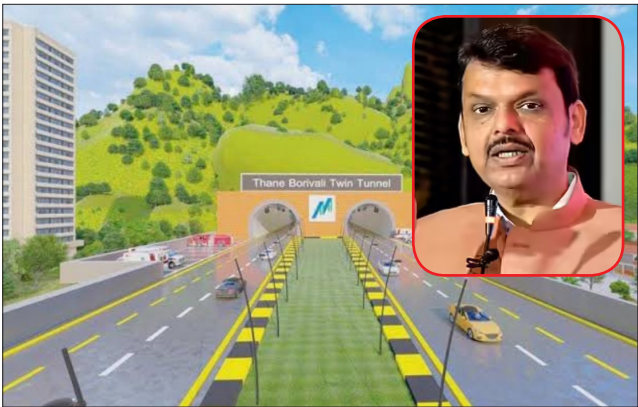
burnsmcd.com

ठाणे-बोरीवली सुरंग परियोजना को मिली रफ्तार

- मुख्यमंत्री फडणवीस ने तीन साल में पूर्ण करने का दिया आदेश
- हर बुनियादी परियोजना तय समय में पूरी होगी: सीएम

डीबीडी संवाददाता | मुंबई/ठाणे

राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को अब त्वरित न रखने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को हुई एक समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि राज्य में ऐसी कोई भी परियोजना अधूरी नहीं रहनी चाहिए और अगले तीन वर्षों के भीतर सभी बुनियादी परियोजनाएं पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ठाणे से बोरीवली के बीच बन रही दोहरी सुरंग परियोजना को दिसंबर 2028 तक पूरा किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 12,057 करोड़ है। सुरंग की कुल लंबाई 11.84 किलोमीटर होगी।



प्रभावितों का पुनर्वसन अभियान के तहत एक माह में पूरा होगा

परियोजना के चलते प्रभावित होने वाले लोगों का पुनर्वसन विशेष अभियान चलाकर एक महीने में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुनर्वसन के लिए किराया सहायता या अन्य आवासीय परियोजनाओं में समायोजन का विकल्प दिया जाए। इसके लिए एक जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति कर पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी।

इसके पूरा होने के बाद सवा घंटे का सफर केवल 15 मिनट में तय किया जा सकेगा, जिससे समय के साथ-साथ ईंधन की भी बड़ी बचत होगी।

क्या होगा दोहरी सुरंग परियोजना में

- ठाणे-बोरीवली दोहरी सुरंग की कुल लंबाई : 11.84 किमी
- परियोजना के पूरा होने के बाद : सालाना 1.4 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी
- फिलहाल ठाणे से बोरीवली की दूरी तय करने में 1 से 1.25 घंटे लगते हैं, सुरंग के बाद यह सफर महज 15 मिनट में पूरा हो

परियोजना दो हिस्सों में बनाई जाएगी

- पैकेज 1 (बोरीवली की तरफ) : 5.75 किमी, अनुमानित खर्च - 6,178 करोड़ रुपए
- पैकेज 2 (ठाणे की तरफ) : 6.09 किमी, अनुमानित खर्च - 5,879 करोड़ रुपए
- परियोजना का कुल अनुमानित खर्च : 12,057 करोड़ रुपए

परियोजना में तेजी लाने के लिए वन विभाग से मांगी अनुमति

फडणवीस ने कहा कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सुरंग निर्माण के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना कार्य को रफ्तार देने के लिए वन विभाग से दूसरे चरण की अनुमति और रात में काम करने की अनुमति भी तुरंत लेने को कहा गया है।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद

इस उच्चस्तरीय बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। बैठक में परियोजना की प्रगति, बजट, पुनर्वसन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार का लक्ष्य है कि मेट्रो और सुरंग जैसे अहम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समयसीमा के भीतर पूरा कर मुंबई के ट्रैफिक और यात्रा समय की बड़ी समस्या को हल किया जा सके।

अवैध इमारत पर चला मनपा का बुलडोजर

- 12 अनाधिकृत दुकानों को जेसीबी से किया गया ध्वस्त

डीबीडी संवाददाता | भिवंडी

भिवंडी शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ मनपा ने सख्त कार्रवाई करते हुए 12 दुकानों को जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ दिया। यह कार्रवाई कामतघर इलाके के सर्वे क्रमांक 4/1/ए पर स्थित एक अनाधिकृत इमारत के खिलाफ की गई, जिसे भगवान मल्लेशम उगुल्ला द्वारा अवैध रूप से निर्मित किया गया था। मनपा आयुक्त अनमोल सागर के निर्देश और उपायुक्त विक्रम दराडे व सहायक आयुक्त सुरेंद्र भोर्डे के नेतृत्व में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। कार्रवाई के दौरान बोट निरीक्षक सूरज गायकवाड, कर्मचारी नारायण पाटिल, इंद्रपाल जाधव, जयेश जाधव और



पुलिस सुरक्षा में हुई कार्रवाई

अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। उसके पश्चात भिवंडी शहर पुलिस थाने की सहायता से बुधवार को जेसीबी मशीनों की मदद से 12 अवैध दुकानों को गिराया गया।

अतिक्रमण विभाग की पूरी टीम मौजूद रही।

अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई

मनपा अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई वार्ड क्रमांक 3 में अनाधिकृत निर्माणों को लेकर नागरिकों की शिकायतों के आधार पर की गई है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि भविष्य में भी ऐसे अवैध निर्माणों पर इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

भिवंडी-वाडा रोड और खारबाव-चिंचोटी मार्ग पर चार साल में 75 मौतें, 138 दुर्घटनाएं

श्रमजीवी संगठन का अनिश्चितकालीन चक्का जाम

डीबीडी संवाददाता | भिवंडी

भिवंडी-वाडा और खारबाव-चिंचोटी रोड की बदहाल हालत के खिलाफ श्रमजीवी संगठन ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया है। इन सड़कों पर गड़बों की भरमार और मरम्मत की अनदेखी के चलते बीते चार वर्षों में 75 लोगों की जान जा चुकी है और 138 से अधिक दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। सड़क पर चलना मौत से खेलने जैसा हो गया है। संगठन के महासचिव बलराम भोर्डे, जिला अध्यक्ष अशोक सापते और प्रदेश उपाध्यक्ष दत्तात्रय कोलेकर के नेतृत्व में खारबाव रोड के कावड़ नाका, नंदीठाणे, अंबाडी नाका, मालोडी और चिंचोटी सहित वाडा तालुका के कुडुस, शिरीषपाडा, खंडेश्वरी और वाडा में सड़क को जाम किया गया। आंदोलनकारियों ने सड़कों पर तिरपाल बिछाकर चूल्हे जलाए और वही बैठ गए।



इस विरोध को सामाजिक संगठनों और रिक्शा चालकों का समर्थन मिला है। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सुबह से ही भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी और हर मोड़ पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए। इसके चलते भिवंडी-वाडा रोड पर सुबह 10 बजे से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। इसका असर स्कूली बच्चों और यात्रियों पर पड़ा, जो रास्ते में ही फंसे रहे।

392 करोड़ की सड़क आज भी गड़बों में तब्दील

64 किलोमीटर लंबी भिवंडी-वाडा-मनोर सड़क वर्ष 2012 से BOT मॉडल पर बनाई जानी थी, जिसके तहत सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा टोल वसूला जा रहा था। लेकिन सड़क की स्थिति सुधरी नहीं, और लोगों के गुरसे के बाद टोल बंद कर दिया गया। 2019 से लोक निर्माण विभाग ने 150 करोड़ रुपए मरम्मत पर खर्च किए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। ठेकेदारों – जिजाऊ कंस्ट्रक्शन, मयूर कंस्ट्रक्शन, हर्षद गंधे, और गजानन एंटरप्राइजेज – पर बिना काम किए करोड़ों के बिल पास कराने के आरोप लगे हैं।

‘विधान परिषद में की गई घोषणा बन गई मजाक’

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रमोद पवार ने कहा कि 18 दिसंबर 2023 को विधान परिषद में तत्कालीन निर्माण मंत्री रवींद्र चव्हाण ने जिजाऊ कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट करने की घोषणा की थी, लेकिन 19 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विधानसभा में दिए गए अपने ही बयान को भुला दिया है।

अपहृत बच्ची को पुलिस ने कुछ ही घंटों में किया बरामद

डीबीडी संवाददाता | उल्हासनगर

बदलापुर पश्चिम पुलिस थाना क्षेत्र से अपहृत 4 वर्षीय बच्ची को पुलिस ने मात्र कुछ घंटों में सफुल्ल बरामद कर लिया। इस मामले में उल्हासनगर अपराध अन्वेषण विभाग ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से गिरफ्तार कर लिया है। अपहरण की वारदात सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी की पहचान रंजीत बिसनलाल धुर्वे के रूप में हुई है, जो बच्ची को लेकर छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ तहसील के मोरडोगरी गांव भाग गया था। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त अमरसिंह जाधव और परिमंडल-4 के उपायुक्त सचिन गोरे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक अशोक काळी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने छिंदवाड़ा पहुंचकर आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और चतुर्गुं से उसे गिरफ्तार कर उल्हासनगर लाया गया।



परिवार को सौंपी गई बच्ची

पुलिस ने बच्ची को बिना किसी क्षति के सफुल्ल बचाया और उसे उसके माता-पिता को सौंप दिया। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ जारी है। इस ऑपरेशन में पुलिस उपनिरीक्षक नागेश्वर मुंडे, राजेंद्र थोरेवे, हवलदार चंद्रकांत पाटील, गणेश गावडे, चंद्रकांत सावंत, रामदास उगले, महेश जाधव सहित रेलवे पुलिस ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

'तुरंत कनेक्शन दें, नहीं तो होगी कार्रवाई'

पाइपलाइन गैस कनेक्शन में देरी पर भड़के सांसद नरेश म्हरके

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

पुराने ठाणे शहर के नागरिकों को अब भी घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन न मिलने से नाराजगी बढ़ रही है। इस मुद्दे को लेकर ठाणे के सांसद नरेश म्हरके ने महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि नागरिकों को तुरंत गैस कनेक्शन नहीं दिया गया, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नौपाडा, राम मारुति रोड, घंटाली, भास्कर कॉलोनी जैसे इलाकों में कई सोसायटियों को अभी भी सिलेंडर पर निर्भर रहना पड़ रहा है। नागरिकों की शिकायत है कि उन्होंने वर्षों पहले आवेदन दिया, बैठकों में, प्रक्रिया पूरी की, फिर भी कनेक्शन नहीं मिला। विशेष बैठक में फूटा नागरिकों का आक्रोश इस मुद्दे को लेकर शिवसेना के पदाधिकारी किरण नकटी, प्रकाश पायरे, बाला गवस



और संजीव कुलकर्णी की पहल पर आनंद आश्रम में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सांसद म्हरके ने की। इसमें महानगर गैस के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत कोटेगांवकर, इंजीनियर और विभिन्न हाउसिंग सोसायटियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में नागरिकों ने बताया कि कहीं लाइन पहुंची ही नहीं, कहीं कागजी प्रक्रिया के बावजूद कनेक्शन नहीं हुआ, और कहीं तकनीकी अड़चनों से काम अटका है। चूंकि महानगर गैस एकमात्र सेवा प्रदाता है, इसलिए नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं

महानगर गैस ने दिया त्वरित समाधान का आश्वासन

इस मौके पर एमजीएल के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत कोटेगांवकर ने कहा कि जल्द से जल्द पाइपलाइन कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा। बैठक में विलास जोशी, भास्कर पाटिल, प्रीतम राजपूत समेत कई स्थानीय नागरिक, शिवसेना पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नागरिकों ने उम्मीद जताई कि सांसद की चेतावनी और बैठक के बाद अब कनेक्शन मिलने की राह आसान होगी।

है। इस पर सांसद म्हरके ने कहा – 'अगर एमजीएल नागरिकों की समस्याओं को नजरअंदाज करेगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे।'

केवल दो महीने में बकाया बिजली बिलों में 210 करोड़ की बढ़ोतरी

जून के अंत तक 344 करोड़ वसूलने का लक्ष्य

डीबीडी संवाददाता | कल्याण/वसई/पालघर

महावितरण ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बकाया और चालू बिजली बिलों का समय पर भुगतान करें, अन्यथा बाध्य होकर उनकी बिजली आपूर्ति काटनी पड़ेगी। यह चेतावनी कल्याण सर्किल के मुख्य अभियंता चंद्रमणि मिश्रा ने तब दी जब सामने आया कि केवल अप्रैल और मई के दो महीनों में बकाया बिजली बिलों में 210 करोड़ रुपए की भारी वृद्धि हुई है।

मार्च 2025 के अंत तक 25.23 करोड़ और जून महीने का 108.76 करोड़ रुपए का बकाया



क्षेत्रवार बकाया विवरण

- कल्याण सर्कल I (कल्याण पूर्व/पश्चिम, डोंबिवली) : 60.26 करोड़
- कल्याण सर्कल II (उल्हासनगर, बदलापुर, ग्रामीण क्षेत्र) : 106.35 करोड़
- वसई सर्किल (वसई, विरार) : 123.43 करोड़
- पालघर सर्किल : 53.93 करोड़

मिलाकर अब 344 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा गया है, जो 30 जून तक प्राप्त किया जाना है।

सरकारी अधिकारी की मिलीभगत से चल रहे हैं 81 अनाधिकृत स्कूल

- विधायक केलकर ने की बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने की मांग
- दिवा में सर्वाधिक 65 स्कूल गैरकानूनी

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

ठाणे शहर में तेजी से बढ़ रहे अनाधिकृत स्कूलों के खिलाफ अब सख्ती की मांग तेज हो गई है। विधायक संजय केलकर ने इन स्कूलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सब सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। उन्होंने इन स्कूलों की बिजली और पानी की आपूर्ति तुरंत बंद करने की मांग की है। शहर के कुल 81 अनाधिकृत स्कूलों में से 65 स्कूल दिवा इलाके में चल रहे हैं। यह स्कूल बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। विधायक केलकर ने सवाल उठाया कि 'शुक्राचार्य कौन हैं जो इन स्कूलों का समर्थन कर रहे हैं?'



की गई है, लेकिन अब तक किसी भी स्कूल संचालक की गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टा, यह स्कूल पहले की तरह सुचारु रूप से चल रहे हैं। केलकर ने आरोप लगाया कि 'इन स्कूलों को सरकारी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी आदि मिल रही हैं, जो बिना अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नहीं।' उन्होंने कहा कि अनाधिकृत निर्माणों की तरह अनाधिकृत स्कूलों का नेटवर्क भी तेजी से फैल रहा है, विशेषकर मुंब्रा और दिवा में।

बच्चों का भविष्य अधर में

केलकर ने कहा कि इन स्कूलों के चलते आम नागरिकों और छात्रों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही शिक्षा अधिकारियों को इन छात्रों को अधिकृत स्कूलों में समायोजित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया।

सख्त कार्रवाई की मांग

अधिकृत स्कूलों के संगठन के पदाधिकारियों ने हाल ही में विधायक केलकर से मुलाकात की थी। इसके बाद केलकर ने पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे से चर्चा कर तत्काल कार्रवाई और समीक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि डुंबरे इस पूरे मामले की समीक्षा करेंगे और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे।

मीरा-भायंदर में एमएमआरडीए ने शुरू किया सड़कों का मरम्मत कार्य

डीबीडी संवाददाता | मीरा-भायंदर

मीरा-भायंदर महानगरपालिका क्षेत्र में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) और मनपा के संयुक्त प्रयास से सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य विभिन्न स्थानों पर तेजी से चल रहा है। इस कार्य के तहत कई स्थानों पर सड़कें खोदी गई हैं, जहां सीवरेज लाइनें और जल आपूर्ति चैनलों का काम भी जारी है। मनपा प्रशासन ने इन सड़कों की खुदाई के दौरान



यातायात सुगमता और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित ठेकेदारों को आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। हर साल मानसून के दौरान सड़कों पर बनने वाले गड्ढों की समय रहते मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए मनपा ने तीन ठेकेदारों को काम सौंपा है।

राजमार्ग और मेट्रो क्षेत्र की सड़कों की भी दी जा रही निगरानी

फाउंटैन होटल से दहिसर चेंक नाका तक का मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 08 के अंतर्गत आता है, जिसकी मरम्मत के लिए समय-समय पर संबंधित विभाग को सूचित किया गया है। वहीं, दहिसर चेंक नाका से लेकर भायंदर (पश्चिम) सुभाष चंद्र बोस मैदान तक मेट्रो-9 परियोजना का कार्य एमएमआरडीए द्वारा किया जा रहा है, जिसे भी सड़क मरम्मत को लेकर नियमित जानकारी दी जा रही है।

'बुवाई के लिए तुम्हारे बाप को छह हजार रुपए देते हैं मोदी'

- ▶ **भाजपा विधायक बबनराव लोणीकर का विवादित बयान**
- ▶ **फडणवीस ने भी लगाई फटकार**
- ▶ **विपक्ष ने कहा- यह किसानों और युवाओं का अपमान**

डीबीडी संवाददाता | जालना/मुंबई

भाजपा विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री बबनराव लोणीकर एक विवादित बयान को लेकर राजनीतिक घमासान में घिर गए हैं। उन्होंने युवाओं को लेकर कहा कि तुम्हारे शरीर के कपड़े, बूट, मोबाइल, यहां तक कि पेंशन और प्रधानमंत्री योजनाएं हमारी सरकार के कारण हैं। इस बयान पर विपक्ष ने उन्हें घेरा, जबकि खुद भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी नाराजगी जताते हुए उन्हें जनता का सेवक बनने की सीख दी।



क्या कहा था लोणीकर ने?

जालना के परतूर में एक कार्यक्रम में लोणीकर ने युवाओं की सोशल मीडिया टिप्पणियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि तुम्हारे शरीर के कपड़े हमारी सरकार के हैं। मोबाइल, जूते तक हमारी वजह से हैं। तुम्हारे बाप की पेंशन मैंने मंजूर करवाई। तुम्हारी मां-बहन को लाडली बहना योजना की राशि हमारी सरकार ने दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार और भाजपा नेताओं की आलोचना करने वाले युवाओं को 'बिना काम के बैठे हुए' कहा और यह भी आरोप लगाया कि वे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री फडणवीस के समर्थकों को 'अंधभक्त' कहते हैं।

आपकी नेतागिरी जनता की वजह से है, याद रखेंगे बयान: दानवे

उद्धव सेना के विधान परिषद सदस्य और सदन में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने भाजपा विधायक की टिप्पणियों के लिए उन पर निशाना साधा और उन्हें 'अंग्रेजों का स्वदेशी संस्करण' करार दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी भाषा बोलना ठीक नहीं है। दानवे ने लोनीकर पर निशाना साधते हुए 'एक्स' पर लिखा, 'आपका विधायक का दर्जा लोगों की वजह से है। आपके कपड़े, जूते, हवाई टिकट, नेतागिरी, (आपकी) कार में डीजल भी लोगों की वजह से है।'

विपक्ष का तीखा हमला

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि जो नेता किसानों और उनके बच्चों का अपमान करे, वह मानसिक रूप से विकृत है। लोणीकर को तत्काल माफी मांगनी चाहिए। विवाद बढ़ने के बावजूद बबनराव लोणीकर ने अपने बयान को सही ठहराते हुए कहा कि मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी अगर किसी को बुरा लगा तो माफी मांगता हूँ।

बार में छापेमारी के दौरान सिर्फ मौजूद रहने पर नहीं चल सकता केस: बॉम्बे हाईकोर्ट

तेजस
हरेश
हकानी के
खिलाफ
मामला रद्द



डीबीडी संवाददाता | मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति पर सिर्फ बार या रेस्टोरेंट में छापेमारी के समय मौजूद रहने भर से आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जब तक उस पर किसी आपतिजनक कृत्य में शामिल होने का प्रत्यक्ष आरोप न हो। यह फैसला हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति राजेश पाटील की खंडपीठ ने तेजस हरेश हकानी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वकील आशीष दुबे और राहुल त्रिपाठी ने दलील दी थी कि वह महज मौके पर मौजूद था और कोई अश्लील कृत्य नहीं कर रहा था।

कोर्ट ने किया मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित मामला रद्द

पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि किसी स्थान पर महज मौजूदगी, जहां कोई और व्यक्ति आपतिजनक कार्य कर रहा हो, आरोपी को आईपीसी की धारा 294 और 114 के तहत दंडनीय नहीं बनाती। अदालत ने रुखमिणी कुमार मेहता बनाम महाराष्ट्र राज्य (14 जनवरी 2021) मामले का हवाला दिया जिसमें भी यह स्थापित किया गया था कि दर्शक मात्र होने पर आपराधिक धाराएं लागू नहीं होती।

पुलिस ने 2022 में की थी छापेमारी

यह मामला 22 अप्रैल 2022 की रात अंधेरी (पूर्व) के कोलडोंगरी स्थित पंजाब रेस्टोरेंट एंड बार (समीत पैलेस) में पुलिस छापेमारी से जुड़ा था। पुलिस का आरोप था कि वहां महिलाएं अश्लील

नृत्य कर रही थीं और मौजूद लोग उन पर पैसे उड़ा रहे थे। पुलिस ने इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें याचिकाकर्ता तेजस हरेश हकानी भी शामिल थे।

लगी थीं कई गंभीर धाराएं

तेजस हकानी के खिलाफ अंधेरी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 308, 294, 114 और 34, तथा महाराष्ट्र होटल, रेस्टोरेंट और बार रूम में अश्लील नृत्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 3, 8 (1)(2)(4) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका

तेजस हकानी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मामला रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति न तो आयोजक है और न ही कृत्य में भागीदार, तो केवल उसकी उपस्थिति अपराध नहीं मानी जा सकती।

कोरोना के 30 नए मामले, 3 लोगों की मौत

मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि तीन मरीजों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक सतारा और दो नागपुर जिले से हैं।



राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, नए मरीजों में 8 मुंबई, 3 ठाणे, 2-2 नवी मुंबई और कल्याण-डोंबिवली, 8 पुणे, 5 नागपुर, 1-1 कोल्हापुर और सांगली से हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 1 जनवरी 2025 से अब तक राज्य में 2,425 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 36 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं, इस दौरान 27,394 लोगों का परीक्षण किया गया है और 2,166 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। मुंबई में 1 जनवरी से अब तक 973 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें केवल जून में 532 मामले दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा शहर में संक्रमण के बढ़ते खतरे की ओर संकेत कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है।

एयरपोर्ट पर पांच साल में 229 बार टकराए पक्षी

- ▶ **मंत्री आशीष शेलार ने दिए समाधान तलाशने के निर्देश**

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

अहमदाबाद में हाल ही में हुए विमान हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई हवाई अड्डे की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आशीष शेलार ने जानकारी दी कि पिछले पांच वर्षों में मुंबई एयरपोर्ट पर विमानों से पक्षियों की टकराने की 229 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इस पर गंभीर चिंता जताते हुए उन्होंने तीन माह के भीतर तकनीकी और व्यावहारिक समाधान खोजने के निर्देश दिए हैं।



हर साल बढ़ रही हैं घटनाएं

सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुंबई में 2020 में 20, 2021 में 35, 2022 में 36, 2023 में 60, 2024 में 59 और 2025 में अब तक 19 पक्षी टकराने की घटनाएं हुई हैं।

प्रशासन को दिए सख्त निर्देश

इस विषय पर शेलार ने बीएमसी, एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर पक्षियों से विमान सुरक्षा को खतरे को खत्म करने के लिए नई परिकल्पनाएं

तकनीक और पर्यावरणीय संतुलन पर आधारित रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। शेलार ने कहा कि विमान दुर्घटनाओं से बचाव केवल सरकारी प्रयासों से

संभव नहीं है। इसके लिए आसपास के नागरिकों को भी सहयोग करना होगा ताकि हवाई अड्डे के नजदीक साफ-सफाई और कचरे के निष्पादन में सतर्कता बरती जा सके।

छह महीने बाद भी नहीं सुलझा महामंडल का बंटवारा

स्थानीय चुनाव से पहले फैसला संभावित

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र में महायुति सरकार को बने छह महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और राकांपा (अजित पवार गुट) के बीच महामंडल बंटवारे को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन सकी है। इस मुद्दे पर हाल ही में मुंबई में महायुति के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें तीनों दलों के नेताओं ने फैसले का अधिकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को सौंप दिया।



पिछली सरकार में भी बना था गतिरोध

महायुति की पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान भी करीब द्वाइ साल तक महामंडल का बंटवारा लटका रहा था। चुनावी वर्ष में असंतोष बढ़ने के बाद उस समय मुख्यमंत्री शिंदे ने कुछ नेताओं को एकतरफा महामंडल सौंप दिए थे, जिस पर भाजपा और राकांपा नेताओं ने आपत्ति जताई थी।

अब उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में नवंबर में संभावित स्थानीय चुनावों से पहले महामंडल बंटवारा कर दिया जाएगा ताकि मंत्री पद से वंचित नेताओं की नाराजगी को दूर किया जा सके। खास बात यह है कि फडणवीस मंत्रिमंडल में अभी भी एक पद रिक्त रखा गया है, जिसे 'लौलीपोप' की तरह नाराज नेताओं को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया जा

सकता है। महामंडल बंटवारा अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन और सत्ताधारी दलों के भीतर की नाराजगी को नियंत्रित करने का मुद्दा बन चुका है। फिलहाल पूरा राजनीतिक दबाव मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के फैसले पर टिका है, जिससे यह स्पष्ट है कि महायुति की आंतरिक खींचतान अभी थमी नहीं है।

स्थानीय चुनाव से पहले फैसला तय

बैठक में बनी आंतरिक सहमति, पर फैसला नहीं

बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, शिवसेना नेता उदय सामंत और राकांपा प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे को महामंडल बंटवारे पर प्रारंभिक बातचीत का जिम्मा दिया गया था। हालांकि, सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि अंतिम निर्णय महायुति के तीनों शीर्ष नेताओं द्वारा लिया जाएगा।

महाराष्ट्र के 83 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित

मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल



सी. पी. राधाकृष्णन ने गुरुवार को राजभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्य के 83 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। यह अलंकरण उन अधिकारियों को प्रदान किया गया जिन्हें 2021 और 2022 के स्वतंत्रता दिवस पर इस पुरस्कार के लिए चर्चनित किया गया था। राज्यपाल ने समारोह में 41 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पुलिस वीरता पदक, 3 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, और 39 अन्य को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए। इस अवसर पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर, राज्य की

पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, होमगार्ड महानिदेशक रितेश कुमार, महाराष्ट्र पुलिस आवास एवं कल्याण महामंडल की महानिदेशक अर्चना त्यागी और मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल राधाकृष्णन ने समारोह में अपने संबोधन में सम्मानित अधिकारियों की वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि ये पदक पुलिस बल के अद्वितीय योगदान का प्रतीक हैं और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं।

भायंदर लोकल हादसा

बेटे की मौत के 15 साल बाद पिता को मिला इंसाफ

- ▶ **हाई कोर्ट ने रेलवे को दिया 4 लाख मुआवजे का आदेश**
- ▶ **टिकट न होने को नहीं माना गया मुआवजे से इनकार का आधार**



मुंबई। भायंदर में 2010 में लोकल ट्रेन से गिरकर युवक की मौत के मामले में मृतक के पिता को 15 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से न्याय मिला है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल मृतक के पास टिकट न मिलने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वह वास्तविक यात्री नहीं था। कोर्ट ने रेलवे को 4 लाख रुपए का मुआवजा और उस पर घटना की तारीख से 8% ब्याज देने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक साक्ष्य दावेदारों को देने होते हैं, लेकिन एक बार यदि यह साबित हो जाता है कि मृतक यात्री था, तो फिर रेलवे को इसके विपरीत सबूत देने होंगे। अदालत ने माना कि

रेलवे दावा न्यायाधिकरण ने कर दिया था मुआवजे से इनकार मृतक कौशिक ठक्कर के पिता दामोदर ठक्कर ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की थी, जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि मृतक के पास वैध टिकट नहीं था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। न्यायमूर्ति एन. जे. जमादार की

एकल पीठ ने कहा कि मृतक के पास टिकट न मिलना केवल एक स्थिति है, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह यात्री नहीं था। अदालत ने कहा कि 'ऐसे मामले में मुआवजे से इनकार करना लाभकारी और कल्याणकारी कानून की भावना के विपरीत होगा।'

अदालत ने टिकट को लेकर अपनाई लचीली दृष्टि

दुर्घटना के समय टिकट का न पाया जाना कई बार परिस्थितियों पर निर्भर हो सकता है। गुजरत के अहमदाबाद निवासी मृतक कौशिक एक आयुर्वेदिक कंपनी में सेल्समैन के रूप में काम करता था।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

क्रमांक A.E.(SWM)/GS/823/dtd.26.06.2025

ई.ओ.आई.सूचना

बृहन्मुंबई महानगरपालिका जी/साउथ वार्ड में विभिन्न मलिन बस्तियों में "स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान" योजना को लागू करने के लिए एनजीओ की नियुक्ति के लिए 02.07.2025 तक की अवधि के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.ई.) आमंत्रित करता है। विस्तृत जानकारी सहायक आयुक्त जी/साउथ वार्ड/सहायक अभियंता (टोस अपशिष्ट प्रबंधन) जी/साउथ वार्ड के कार्यालय में उपलब्ध है। 2 दूसरी मंजिल, जी/साउथ वार्ड कार्यालय भवन, एन.एम. जोशी मार्ग, धानमिल नाका, मुंबई - 400 013, फोन. 022-24305031 एक्सटेंशन 124 या नगर निगम की वेबसाइट <http://portal.mcgm.gov.in> पर उपलब्ध है।

हस्ता/-26.06.2025

सहायक अभियंता (एसडब्ल्यूएम) जी/साउथ वार्ड

पीआरओ/ 816/विज्ञा./2025-26

समय पर उपचार, बचाएं प्राण।

